

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023—श्रावण 20, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र. 13505-167-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 अगस्त, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०२३

## मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अधिनियम , २०२३

## विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा १० का संशोधन.
३. धारा १६ का संशोधन.
४. धारा १७ का संशोधन.
५. धारा २३ का संशोधन.
६. धारा ३० का संशोधन.
७. धारा ३७ का संशोधन.
८. धारा ३९ का संशोधन.
९. धारा ४४ का संशोधन.
१०. धारा ५२ का संशोधन.
११. धारा ५४ का संशोधन.
१२. धारा ५६ का संशोधन.
१३. धारा ६२ का संशोधन.
१४. धारा १०९ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.
१५. धारा ११० का लोप.
१६. धारा ११४ का लोप.
१७. धारा ११७ का संशोधन.
१८. धारा ११८ का संशोधन.
१९. धारा ११९ का संशोधन.
२०. धारा १२२ का संशोधन.
२१. धारा १३२ का संशोधन.
२२. धारा १३८ का संशोधन.
२३. नई धारा १५८ ए का अंतःस्थापन.
२४. अनुसूची-तीन का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २०२३

### मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०२३

[ दिनांक १० अगस्त, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक ११ अगस्त, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०२३ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(२) यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी.

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा १० में,—

धारा १० का संशोधन.

(क) उप-धारा (२) में, खण्ड (घ) में, शब्द "माल या" का लोप किया जाए;

(ख) उप-धारा (२क) में, खण्ड (ग) में, शब्द "माल या" का लोप किया जाए.

३. मूल अधिनियम की धारा १६ में उप-धारा (२) में,—

धारा १६ का संशोधन.

(एक) दूसरे परन्तुक में, शब्द "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आऊटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" के स्थान पर, शब्द और अंक, "धारा ५० के अधीन देय ब्याज के साथ, उसके द्वारा भुगतान किया जायेगा" स्थापित किया जाए;

(दो) तीसरे परन्तुक में, शब्द "उसके द्वारा" के पश्चात्, शब्द "प्रदायकर्ता को" जोड़े जाए.

४. मूल अधिनियम की धारा १७ में,—

धारा १७ का संशोधन.

(क) उप-धारा (३) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "छूट-प्राप्त प्रदाय के मूल्य" में

अनुसूची-तीन में विनिर्दिष्ट कार्यकलाप या संव्यवहार का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय,—

- (एक) उक्त अनुसूची के पैरा ५ में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप या संव्यवहार का मूल्य; और
- (दो) उक्त अनुसूची के पैरा ८ के खण्ड (क) के संबंध में विहित क्रियाकलाप या संव्यवहार का मूल्य.”;
- (ख) उप-धारा (५) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(चक) एक कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों, जो कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा १३५ में निर्दिष्ट कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसके दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं;”.

धारा २३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २३ में, उप-धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा स्थापित की जाए और १ जुलाई, २०१७ से स्थापित की गई समझी जाए, अर्थात्:—

“(२) धारा २२ की उप-धारा (१) या धारा २४ में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट किए जाएं, उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्दिष्ट कर सकती हैं जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है.”.

धारा ३० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३० में, उप-धारा (१) में,—

(क) शब्द “रद्दकरण आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से”, के स्थान पर, शब्द “ऐसी रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्वधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएं, स्थापित किए जाएं.

(ख) परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा ३७ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(५) एक पंजीकृत व्यक्ति को उप-धारा (१) के अधीन किसी कर अवधि के लिए, उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जावक पूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को उप-धारा (१) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी एक कर अवधि के लिए जावकपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.”.

८. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उप-धारा (१०) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, धारा ३९ का अर्थात्:— संशोधन.

“(११) एक पंजीकृत व्यक्ति को विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विवरण प्रस्तुत करने की उक्त देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् भी एक कर अवधि के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है.”

९. मूल अधिनियम की धारा ४४ को उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, अर्थात्:— धारा ४४ का संशोधन.

“(२) एक पंजीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (१) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को एक वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (१) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.”

१०. मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उप-धारा (१४) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाए, धारा ५२ का अर्थात्:— संशोधन.

“(१५) प्रचालक को उप-धारा (४) के अधीन एक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परन्तु यह कि सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाए एक प्रचालक या प्रचालकों के एक वर्ग को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की देय तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी उप-धारा (४) के अधीन एक विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी.”

११. मूल अधिनियम की धारा ५४ में, उप-धारा (६) में शब्द “जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है,” का लोप किया जाए. धारा ५४ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, शब्द “उक्त धारा के अधीन आवेदन प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक”, के स्थान पर शब्द “इस तरह के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक साठ दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिये, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाये, के अनुसार गणना की जाकर” स्थापित किए जाएं. धारा ५६ का संशोधन.

धारा ६२ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उप-धारा (२) में,—

- (क) शब्द “तीस दिन” के स्थान पर, शब्द “साठ दिन” स्थापित किए जाएं.
- (ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह कि जहां पंजीकृत व्यक्ति उप-धारा (१) के अधीन निर्धारण आदेश की तामीली से साठ दिनों के भीतर एक विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह साठ दिनों से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क के भुगतान पर उक्त निर्धारण आदेश की तामीली के साठ दिनों की एक और अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत कर सकता है. यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा ५० की उप-धारा (१) के अधीन ब्याज का भुगतान या धारा ४७ के अधीन विलंब शुल्क का भुगतान करने के दायित्वाधीन रहेगा.”.

धारा १०९ के स्थान पर नई धारा का स्थापन.

१४. मूल अधिनियम की धारा १०९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन.

“१०९. इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकरण होगा.”.

धारा ११० का लोप.

१५. मूल अधिनियम की धारा ११० का लोप किया जाए.

धारा ११४ का लोप.

१६. मूल अधिनियम की धारा ११४ का लोप किया जाए.

धारा ११७ का संशोधन.

१७. मूल अधिनियम की धारा ११७ में,—

- (क) उप-धारा (१) में, शब्द “राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों” के स्थान पर, शब्द “राज्य पीठ” स्थापित किए जाएं;
- (ख) उप-धारा (५) में, खण्ड (क) और (ख) में, शब्द “राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ” के स्थान पर, शब्द “राज्य पीठ” स्थापित किए जाएं.

धारा ११८ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा ११८ में, उप-धारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) अपील अधिकरण की प्रमुख पीठ द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध; या”.

धारा ११९ का संशोधन.

१९. मूल अधिनियम की धारा ११९ में,—

- (क) शब्द “राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों” के स्थान पर, शब्द “प्रमुख पीठ” स्थापित किए जाएं;

(ख) शब्द “राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों” के स्थान पर, शब्द “राज्य पीठ” स्थापित किए जाएं.

२०. मूल अधिनियम की धारा १२२ में, उप-धारा (१क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १२२ का संशोधन.

“(१ख) कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो,—

- (क) ऐसी पूर्ति करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति के अलावा किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति की अनुमति देता है;
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति की अनुमति देता है जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं हैं; या
- (ग) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से प्रभावित माल की किसी भी जावकपूर्ति का, धारा ५२ की उप-धारा (४) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह दस हजार रुपये का जुर्माना, या यदि ऐसी आपूर्ति धारा १० के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई हों, में सम्मिलित कर की राशि के बराबर राशि, दोनों में जो भी अधिक हो का भुगतान करने के लिए दायी होगा.”

२१. मूल अधिनियम की धारा १३२ में, उप-धारा (१) में,—

धारा १३२ का संशोधन.

- (क) खण्ड (छ), (ज) और (ट) का लोप किया जाए;
- (ख) उपखण्ड (ठ) में, (एक) शब्द, कोष्ठक और अक्षर “खण्ड (क) से (ट)”, के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “खण्ड (क) से (च) और खण्ड (ज) और (झ)” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपखण्ड (तीन) में, शब्द “जहां” के पश्चात्, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अपराध में” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उपखण्ड (चार) में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर “या खण्ड (छ) या खण्ड (ज)” का लोप किया जाए.

२२. मूल अधिनियम की धारा १३८ में,—

धारा १३८ का संशोधन.

- (क) उप-धारा (१) में, पहले परंतुक में,—
  - (एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
    - “(क) एक व्यक्ति जिसे धारा १३२ की उप-धारा (१) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था;”;
  - (दो) खण्ड (ख) का लोप किया जाए.

(तीन) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ग) व्यक्ति जो धारा १३२ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध कारित करने का अभियुक्त है;

(चार) खण्ड (ड) का लोप किया जाए;

(ख) उप-धारा (२) में, शब्द “दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने”, के स्थान पर, “शब्द अंतर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम राशि अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने” स्थापित किए जाएं.

नई धारा १५८ए का अंतःस्थापन.

कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सहमति आधारित साझा करना.

२३. मूल अधिनियम की धारा १५८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“१५८ए (१) धारा १३३, १५२ और १५८ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् की सिफारिशों और उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विवरण सामान्य पोर्टल द्वारा ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, साझा किया जा सकता है, अर्थात् :—

(क) धारा २५ के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन में या धारा ३९ या धारा ४४ के अधीन दाखिल विवरणी में प्रस्तुत विवरण;

(ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण, धारा ३७ के अधीन प्रस्तुत जावकपूर्ति का विवरण और धारा ६८ के अधीन दस्तावेजों के निर्माण के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण;

(ग) ऐसे अन्य विवरण जो विहित किये जाएं.

(२) उप-धारा (१) के अधीन विवरण साझा करने के प्रयोजनों के लिए, सहमति प्राप्त की जाएगी,—

(क) उप-धारा (१) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्रस्तुत विवरण के संबंध में पूर्तिकार की; और

(ख) उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन प्रस्तुत विवरण और उप-धारा (१) के खण्ड (ग) के अधीन जहां इस तरह के विवरण में प्राप्तकर्ता की पहचान की जानकारी शामिल है के संबंध में, प्राप्तकर्ता की—

ऐसे प्रपत्र और रीति में सहमति प्राप्त की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी और प्रासंगिक पूर्ति पर या संबंधित विवरणी के अनुसार कर का भुगतान करने की देयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.”

अनुसूची-तीन में संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की अनुसूची-तीन में, पैराग्राफ ७ और ८ और उसके स्पष्टीकरण २ (२०१९ के अधिनियम २ की धारा ३८ द्वारा जोड़े गए के अनुसार) को जुलाई, २०१७ के पहले दिन से वहां जोड़ा गया माना जाएगा.

(२) एकत्र किए गए सभी करों का, जो इस तरह एकत्र नहीं किया गया होता, यदि उप-धारा (१) सभी भौतिक समयों पर लागू होती, कोई रिफंड नहीं किया जाएगा.



भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र. 13505-167-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 21 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2023

## THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2023

## TABLE OF CONTENTS

**Sections :**

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 10.
3. Amendment of Section 16.
4. Amendment of Section 17.
5. Amendment of Section 23.
6. Amendment of Section 30.
7. Amendment of Section 37.
8. Amendment of Section 39.
9. Amendment of Section 44.
10. Amendment of Section 52.
11. Amendment of Section 54.
12. Amendment of Section 56.
13. Amendment of Section 62.
14. Substitution of Section 109.
15. Deletion of Section 110.
16. Deletion of Section 114.
17. Amendment of Section 117.
18. Amendment of Section 118.
19. Amendment of Section 119.
20. Amendment of Section 122.
21. Amendment of Section 132.
22. Amendment of Section 138.
23. Insertion of Section 158A.
24. Amendment of Schedule III.

## MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2023

## THE MADHYA PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2023

[Received the assent of the Governor on the 10<sup>th</sup> August, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary", dated the 11<sup>th</sup> August, 2023. ]

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fourth years of the Republic of India as follows :—

**Short title and commencement.**

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

**Amendment of Section 10.**

2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in Section 10,—

- (a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall be omitted;
- (b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.

**Amendment of Section 16.**

3. In Section 16 of the principal Act, in sub-section (2),—

- (i) in the second proviso, for the words "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under Section 50" shall be substituted;
- (ii) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be inserted.

**Amendment of Section 17.**

4. In Section 17 of the principal Act, in sub-section (3),—

- (a) for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely :—

**"Explanation.**—For the purposes of this sub-section, the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III,

except,—

- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";

(b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in Section 135 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);".

5. In Section 123 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017, namely :—

**Amendment of Section 23.**

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of Section 22 or Section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act."

6. In Section 30 of the Principal Act, in sub-section (1),—

**Amendment of Section 30.**

(a) for the words "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order.", the words "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted;

(b) the proviso shall be omitted.

7. In Section 37 of the Principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be added, namely :—

**Amendment of Section 37.**

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details :

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."

8. In Section 39 of the Principal Act, after sub-section (10), the following new sub-section shall be added, namely :—

**Amendment of Section 39.**

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."

**Amendment of Section 44.**

9. In Section 44 of the principal Act, the opening paragraph shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be added, namely :—

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing be said annual return :

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."

**Amendment of Section 52.**

10. In Section 52 of the Principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be added, namely :—

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement :

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."

**Amendment of Section 54.**

11. In Section 54 of the Principal Act, in sub-section (6), the words "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

**Amendment of Section 56.**

12. In Section 56 of the Principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed" shall be substituted.

**Amendment of Section 62.**

13. In Section 62 of the Principal Act, in sub-section (2),—

- (a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;
- (b) for the full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of Section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."

14. For Section 109 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely :—	<b>Amendment of Section 109.</b>
"109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act."	<b>Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.</b>
15. Section 110 of the Principal Act shall be deleted.	<b>Deletion Section 110.</b>
16. Section 114 of the Principal Act shall be deleted.	<b>Deletion Section 114.</b>
17. In Section 117 of the Principal Act,—	<b>Amendment of Section 117.</b>
(a) in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.	
(b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.	
18. In Section 118 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "National Bench or Regional Bench", the words "Principal Bench" shall be substituted.	<b>Amendment of Section 118.</b>
19. In Section 119 of the principal Act,—	<b>Amendment of Section 119.</b>
(a) for the words "National or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted;	
(b) for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.	
20. In Section 122 of the Principal Act, after sub-section (1A) , the following sub-section shall be inserted, namely :—	<b>Amendment of Section 122.</b>
"(1B) Any electronic commerce operator who,—	
(a) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply ;	
(b) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or	
(c) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of Section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,	
shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."	

**Amendment of Section 132.**

21. In Section 132 of the Principal Act, in sub-section (1),—

- (a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;
- (b) in clause (1), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;
- (c) in clause (iii), for the words "any other offence" the words, brackets and letter "an offence specified in clause (b)," shall be substituted;
- (d) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be omitted.

**Amendment of Section 138.**

22. In Section 138 of the Principal Act,—

- (a) in sub-section (1), in the first proviso,—
  - (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—
    - (a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of Section 132;"
  - (ii) clause (b) shall be omitted;
  - (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—
    - (c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of Section 132;"
  - (iv) clause (e) shall be omitted;
- (b) in sub-section (2), for the words "ten thousand rupees of fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the words "twenty-five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved" shall be substituted.

**Insertion of Section 158A.**

23. After Section 158 of the Principal Act, the following Section shall be inserted, namely :—

**Consent based sharing of information furnished by taxable person.**

"158A. (1) Notwithstanding anything contained in Sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed, namely :—

- (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;
- (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;
- (c) such other details, as may be prescribed.

(2) For the purpose of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of,—

- (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and
- (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner, as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."

24 (1) In Schedule III to the Principal Act, paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 38 of Act 2 of 2019) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

**Amendment of  
Schedule III.**

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.